

>

Title: Need to set up residential schools in tea gardens in the Assam.

श्री पल्लब लोचन दास: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एजुकेशन को फंडामेन्टल राइट बनाया है। हर बच्चे को एजुकेशन देना सरकार का पहला दायित्व होता है। अभी असम में एक ऐसी भी जगह है, हम लोगों ने प्रिन्सली स्टेट्स को तोड़कर एक भारत बनाया, लेकिन उसी टाइम में हम लोगों ने टी स्टेट को स्टेट बनाकर रखा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप आपस में बात न करें। हमारे नए माननीय सदस्य कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, कृपया आप इसे सुनें। इन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए।

श्री पल्लब लोचन दास: सर, स्टेट को हम लोगों ने टी स्टेट बनाकर रखा, स्टेट विदिन द स्टेट। स्टेट के जो रूल्स होते हैं, वे रूल्स विदिन द टी स्टेट फॉलो नहीं होता है। बंगाल तथा असम के टी गार्डेन में जितने भी वर्कर्स हैं, एक तो वे इंडस्ट्रियल वर्कर हैं और दूसरा, वे इस देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक के हिसाब से उनको जो भी सुविधा मिलनी चाहिए थी, वह सुविधा उनको नहीं मिल रही है। अभी स्कूल में जो प्लैन्टेशन लेबर एक्ट बनाया गया, इसमें लिखा गया कि उनके लिए वहां पर प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था है, लेकिन अपर प्राइमरी तथा सेकेन्डरी एजुकेशन की लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

महोदय, इसके लिए मैंने कल भी बोला था कि प्लैन्टेशन लेबर एक्ट को अमेन्ड करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के थ्रू वहां पर सेकेन्डरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, रेज़िडेन्शियल स्कूल तथा कॉलेज या बड़ा स्कूल बनाया चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं।